

# होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

## परिपत्र-11

कमॉक २१० /निस/डीजी/2018

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2018

भारत शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों जिसमें प्रत्येक राज्य की कुल आबादी का 01 प्रतिशत जनसंख्या का सिविल डिफेन्स स्वयं सेवकों के रूप में पंजीयन किया जाना है। जागरूक नागरिकों की सकारात्मक उर्जा को आपदा के समय उपयोग में लाकर जहां एक ओर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, वहीं प्रशासन के लिये भी यह सहायक के रूप में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नागरिकों को आपदा संबंधी व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में विकसित किया जाना समय की मांग है। ऐसे सभी प्रशिक्षित नागरिकों को सिविल डिफेन्स स्वयंसेवियों के रूप में पंजीयन तथा जियो टैगिंग की कार्यवाही की जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण प्रमुखता से सामने आया है। संभाग /जिलों के भ्रमण के दौरान तथा समय-समय पर मेरे द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक होमगार्ड सैनिक को कम से कम 5 सिविल डिफेन्स स्वयंसेवियों का पंजीयन कार्य करना चाहिए। जिला सेनानियों द्वारा जिलों में एन0जी0ओ0 संगठनों जैसे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब इत्यादि के सदस्यों को तथा अन्य संस्थाएं/संगठन जैसे, ब्रह्मकुमारी, गायत्री परिवार, आर्य समाज इत्यादि के जिला प्रमुख से सम्पर्क कर, उनके सदस्यों को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण देकर सिविल डिफेन्स स्वयंसेवियों के रूप में पंजीयन तथा जियो टैगिंग की कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आगामी समय में जिलों में नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी, एन0एस0एस0, भारत स्काउट गाइड आदि की क्षमता वृद्धि एवं कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाना है। इन कार्यशालाओं में सम्मिलित होने वाले 18 वर्ष के ऊपर के प्रशिक्षार्थियों को सिविल डिफेन्स स्वयंसेवी के रूप में पंजीयन तथा जियो टैगिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जावे। इसी प्रकार जिलों में कॉलेजों तथा अन्य संस्थाओं के छात्र-छात्राओं/ सदस्यों को भी सिविल डिफेन्स संगठन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(महान भारत सागर)  
महानिदेशक, 13.3.18

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं  
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

o/c

पृ0 कमॉक २११ /निस/डीजी/2018

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:

- 1- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश भोपाल।
  - 2- पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म0प्र0 जबलपुर।
  - 3- एडीशनल कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड म0प्र0 जबलपुर।
  - 4- समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
  - 5- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(महान भारत सागर)  
महानिदेशक, 13.3.18

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं  
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

o/c